

रात्रिकालीन सफाई कार्य से 3 अनुपस्थित, 7 दिन का वेतन काटा

● रतलाम।

शहर को साफ स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़क, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रिकालीन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों में से 3 सफाई मित्रों द्वारा 27 जनवरी गुरुवार को बिना सूचना

के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 27 जनवरी गुरुवार को

अभिषेक 29

शेखर-मदन, राकेश-रमेश व सुनील-रत्न द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने

का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।

अभिषेक 29/1/22

तैयारी

स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 में प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान दिलाने का लक्ष्य

‘स्वच्छता संकल्प माह’ के रूप में मनाई जाएगी फरवरी

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 में प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए फरवरी ‘स्वच्छता संकल्प माह’ के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण के जरूरी मापदंडों को पूरा किया जाएगा, ताकि रेटिंग में नगर निगमों को फाइव व निकायों को थ्री स्टार और प्रेरक दौड़ श्रेणी में सभी निकायों को कम से कम गोल्ड या सिल्वर मिल सके।

‘स्वच्छता संकल्प माह’ के तहत एक से पांच फरवरी तक थीम स्टार रेटिंग, छह से 10 फरवरी तक ओडीएफ प्लस प्लस, 11 से 15 फरवरी तक सिटीजन फ्रीडमैंक एवं इंगेजमेंट, 16 से 20 फरवरी तक समस्त अधोसंरचना निर्माण गतिविधियां आयोजित करने के साथ ही एफएसटीपी के मटेरियल रिकवरी केंद्र,

कंपोस्टिंग इकाइयों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पूरा किया जाएगा। 21 से 25 फरवरी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद, समीक्षा एवं अधोसंरचनाओं का लोकार्पण करेंगे। 25 से 27 फरवरी तक स्वच्छ सर्वेक्षण और 28 फरवरी को समापन गतिविधि की जाएगी। समापन पर नगरीय निकायों की टीम कचरा संग्रहण वाहनों के साथ नगर का भ्रमण करेगी। यह दिन कचरा संग्रहण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान वाडों में कचरा संग्रहण वाहनों के चालकों और सहयोगियों को शाल, श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ‘स्वच्छता संकल्प माह’ स्वच्छता सर्वेक्षण-2022



की तैयारियों के तहत आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ

सर्वेक्षण-2022 में प्रत्येक निकाय को ओडीएफ डबल प्लस प्रमाणीकरण प्राप्त करने, गावेज-प्री सिटी की स्टार रेटिंग में नगर निगमों को फाइव स्टार एवं अन्य नगरीय निकायों को न्यूनतम थ्री स्टार लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण की प्रेरक दौड़ श्रेणी में सभी निकायों को कम से कम गोल्ड या सिल्वर लाने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में जिले के कलेक्टरों को भी पुरस्कृत किया जाना है। उन्होंने स्वच्छता से संबंधित सभी निर्धारित गतिविधियां 28 फरवरी के पहले करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सभी नगरीय निकायों में 26 जनवरी से ‘स्वच्छ प्रतिष्ठान’ सर्वेक्षण भी शुरू किया है।



महिला 30/1/22

अवैध निर्माण का होगा कंपाउंडिंग

रतलाम. नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के कंपाउंडिंग के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का कंपाउंडिंग किया जा सकेगा। इसके लिए लगने वाले कंपाउंडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना

अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के कंपाउंडिंग के लिए नियमों में संशोधन कर अब 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए लगने वाले कंपाउंडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिए अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह बेहतर अवसर है।

नगर निगम द्वारा इसके लिए प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिए गए हैं। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का कंपाउंडिंग 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें। 4 जिन।

4 जिन। 30/1/22

महू रोड बस स्टैंड क्षेत्र में गंदगी मिली स्वास्थ्य अधिकारी सहित जोन प्रभारी, दरोगा का वेतन काटा

भास्कर संवाददाता | रतनाम

एक तरफ नगर निगम शहर को सफाई के मामले में देश के टॉप शहर में लाने की कोशिश में लगा है, दूसरी तरफ कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। शनिवार को महू रोड बस स्टैंड परिसर में कचरा व गंदगी मिलने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, जोन प्रभारी, वार्ड दरोगा और दो सफाई मित्रों पर सात दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की। आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, जोन प्रभारी पर्वत हाड़े, दरोगा ऋषि मोहन, सफाई मित्र अरुण व मनीष को नोटिस जारी कर सात दिन का वेतन काट दिया।

सात कर्मचारी फिर अनुपस्थित मिले

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के कर्मचारियों को बिना बताए इयूटी पर नहीं आने का रवैया बरकरार है। तीन कर्मचारियों शेखर मदन, राकेश रमेश, सुनील रतन का सात दिन का वेतन काटने व बर्खास्तगी का नोटिस दिया है। 7 दुकानें पर जुर्माना, 15 बिना मास्क के मिले : गंदगी फैलाने वाले 7 दुकानदारों पर शनिवार को निगम अमले ने कार्रवाई की। सभी से स्पॉट फाइन वसूला। इसी दौरान स्पॉट फाइन अमले ने 15 व्यक्तियों को बिना मास्क लगाए पकड़ा।

द. भास्कर 30/1/22

नगर निगम के विभिन्न करों से

11.08 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम। संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 25 जनवरी मंगलवार को कुल राशि रुपये 15,53,697/- का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 28 जनवरी गुरुवार को संपत्तिकर शिविर से 79071, कार्यालय 3155914, वसूली दल 352470 कुल 747455, जलकर शिविर 62240, कार्यालय 45410, वसूली दल 78140 कुल 185790, विकास शाखा लीजरेंट 5322, प्रीमियम - 77860, दुकान-गुमटी फिरोजा कार्यालय 9520 वसूली दल 78524 कुल 88044 व बगैर मास्क वाले पर स्पॉट फाईन 3550 इस तरह कुल राशि रुपये 11,08,021/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

रात्रिकालीन सफाई कार्य के अनुपस्थित 3 सफाई मित्रों का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़क, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रिकालीन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों में से 3 सफाई मित्रों द्वारा 27 जनवरी गुरुवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 27 जनवरी गुरुवार को शेखर-मदन, राकेश-रमेश व सुनील-रमन द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

खुले में गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर धर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 28 जनवरी को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर जितेन्द्र टीआईटी रोड, शर्मा रेस्टोरेंट स्टेशन रोड पर 2000-2000, केशव गोपाल कालोनी पर 500 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 11 व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

सिस्टम - 29/1/22

79 टन कचरा जुलवानिया ट्रैचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रैचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को 79 टन कचरा जुलवानिया ट्रैचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 21560, ट्रैक्टर-ट्राली से 22740, कामेक्टर सूखा कचरा 18065, कामेक्टर गीला कचरा 16815 कुल 79180 किलो कचरा जुलवानिया ट्रैचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

आज हनुमान ताल पर होगी रंगोली प्रतियोगिता

रतलाम। आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे आनंद उत्सव में 30 जनवरी को हनुमान ताल में सुबह 11 बजे से रंगोली स्पर्धा होगी। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया प्रतियोगिता का विषय स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रतिबंध रखा है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के बाद उत्सव के तहत हुई स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

प. म. क. 30/1/22

हनुमान ताल पर रंगोली प्रतियोगिता आज

रतलाम। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 'आनंद उत्सव' के तहत 30 जनवरी को हनुमान ताल परिसर में सुबह 11 बजे से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि आनंद उत्सव के तहत रंगोली प्रतियोगिता का विषय स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रतिबंध रहेगा। प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। रंगोली प्रतियोगिता के पश्चात आनंद उत्सव में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

सात दिन का वेतन काटा

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने महू रोड बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी व कचरा पाए जाने व नियमित रूप से सफाई नहीं होने पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, जौन प्रभावी धर्षत हाड़े, काई दरोगा ऋषि मोहन, सफाई मित्र अरुण व मनीष का सात दिन का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

गईदुबीया 30/1/22

10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन

● रतलाम।

नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउंडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउंडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउंडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउंडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध

निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउंडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

आलिखित 29/1/22

फरवरी को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार फरवरी-2022 को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि स्वच्छता संकल्प माह का उद्देश्य स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 की तैयारी पूरी कर प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान पर लाना है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि स्वच्छता संकल्प माह

एक से 28 फरवरी तक आयोजित होगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में प्रत्येक निकाय को ओडीएफ प्रमाणीकरण प्राप्त करने, गाबैज-फ्री सिटी की स्टार रेटिंग में नगर निगमों को 5-स्टार तथा अन्य नगरीय निकायों को न्यूनतम 3-स्टार प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण की प्रेरक दौड़ श्रेणी में सभी निकायों को

कम से कम गोल्ड/सिल्वर प्राप्त करने के निर्देश भी दिये हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में जिला कलेक्टरों को भी पुरस्कृत किया जाना है। उन्होंने निर्धारित कैलेंडर अनुसार स्वच्छता से संबंधित सभी गतिविधियाँ 28 फरवरी के पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। श्री सिंह ने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को और

अधिक प्रभावी बनाने के लिये सभी नगरीय निकायों में 26 जनवरी से 'स्वच्छ प्रतिष्ठान' सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है। स्वच्छता संकल्प माह-2022 के लिये जारी कैलेंडर में एक से 5 फरवरी तक थीम स्टार रेटिंग, 6 से 10 फरवरी तक ओडीएफ, 11 से 15 फरवरी तक सिटीजन फीडबैक और एगजमेट, 16 से 20 फरवरी तक समस्त अघो-संरचना निर्माण

गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इस दौरान 16 से 20 फरवरी तक एफएस्टीपी का मटेरियल रिकवरी केन्द्रों, कम्पोस्टिंग इकाइयों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 21 से 25 फरवरी तक संवाद, समीक्षा एवं अधो-संरचनाओं का लोकार्पण, 25 से 27 फरवरी तक स्वच्छ

सर्वेक्षण और 28 फरवरी को समापन गतिविधि की जाएगी। समापन दिवस पर नगरीय निकायों की टीम कचरा संग्रहण वाहनों के साथ नगर में भ्रमण करेगी। यह दिन पृथक्कीकृत कचरा संग्रहण दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। साथ ही वार्डों में कचरा संग्रहण वाहनों के चालकों और सहयोगियों को शॉल, श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा।

5/2/22

इन्दौर समाचार 30/1/22

कॉलोनियों की खेती : ग्रामीण क्षेत्र में बिना अनुमति खेत में सड़क बनाकर अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफिया पर होगा एक्शन

कॉलोनी सेल से जारी होने लगे नोटिस, शिकायतों की जांच के बाद शुरू हुई कार्रवाई, फिलहाल चार भूमाफिया को नोटिस भेजे जा चुके हैं

भास्कर संवाददाता | रत्नगिरि

शहर के बाढ़ ग्रामीण क्षेत्रों के भूमाफिया पर एक्शन होगा। पहला निशाना ऐसे जमीन मालिक बनेंगे, जिन्होंने बिना अनुमति खेत में सड़क बनाकर अवैध प्लॉटिंग कर भूखंड बेचे हैं। शिकायतों और जानकारी की जांच के बाद कॉलोनी सेल से नोटिस रवाना कर दिए हैं। फिलहाल चार भूमाफिया को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अगले सप्ताह इतने ही नोटिस और जारी हो जाएंगे। इनमें खासतौर पर नामली,

सेलाना, इटावाखुर्द, धरगढ़ सहित शहर से लगते हुए कस्बों की अवैध कॉलोनियां हैं। जवाब के लिए सात दिन का वक़्त दिया है। इसके बाद अवैध कॉलोनियों पर सरकारी बुलडोजर चलने लगेंगे। बीते कुछ सालों से अवैध कॉलोनियों की खेती का जाल शहर के दायरे से निकलकर ग्रामीण अंचल तक फैल चुका है। शिकायतें पहुंचने के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने राजस्व अमले से जांच करवाई थी, जो पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट मिलने के बाद कॉलोनी सेल ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

सेलाना में 13 जमीन मालिकों ने बिना डवलपमेंट किए कॉलोनी के नाम पर बेच दिए प्लॉट

अवैध कॉलोनियों के मामले अंचल के नामली के बाढ़ सेलाना में सबसे ज्यादा हैं। दिसंबर में हुई प्रारंभिक जांच में 13 जमीन मालिकों के नामों का खुलासा हुआ था। इनमें सर्वे नंबर 893 पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले 8, सर्वे नंबर 655 पर प्लॉट काटने वाले तीन और सर्वे नंबर 867 व 860 के जमीन मालिक शामिल हैं। बड़ी बात यह कि भूमाफिया ने ग्रैटर डवलपमेंट (सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज सहित अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर) और अनुमति लिए कॉलोनियों के नाम पर प्लॉट बेच दिए। इनमें कई भूखंडों पर मकान तन गए हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कलेक्टर पुरुषोत्तम के निर्देश पर एसडीएम कामिनी ठाकुर ने टीम बनाकर जांच करवाई थी। रिपोर्ट आने के बाद भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।

शहर में सीएम के दौरे के बाद से कार्रवाई ठप

अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक 9 अवैध कॉलोनियों के निर्माण को जमींदोज कर चुका प्रशासनिक अमला डेढ़ माह से कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। वह भी तब जबकि लगातार अवैध कॉलोनियों को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। अचानक बंद हुई मुहीम को 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे से जोड़ा जा रहा है। बंजली हवाई पट्टी पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक वरिष्ठ ने सीएम को तल्ख लहजे में शिकायत की थी। बताया जा रहा है तत्काल मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को बुलाकर निर्देश दिए थे। सिर्फ यही नहीं दिसंबर में दो बार में नगर निगम ने जिन 17 कॉलोनीडॉनर और प्लॉट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस अब तक उनमें से एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

शहर के आसपास भी अवैध प्लॉटिंग

- सागंद रोड
- इटावामाताजी रोड
- बिज्ञासन मंदिर के सामने
- ग्राम बरबड़ के पीछे
- रत्नपुरी रोड
- मेडिकल कॉलेज के सामने
- ग्राम धरगढ़ के पास
- ग्राम बंजली

६. २१ अक्टूबर ३०/१/२२

प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का नहीं बल्कि गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है: मुख्यमंत्री



सिधम रिपोर्टर □ रतलाम

जिले में 47724 हितग्राही अब तक लाभान्वित

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। यह अदभुत कार्यक्रम है, गरीबों के कल्याण का मेला जारी है। सभी को बेहतर जिंदगी जीने और मुस्कुराने का अधिकार है। जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराई जाएगी। जो सबसे गरीब है और सबसे नीचे है, उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। मकान बनने तक

हम इन भाई-बहनों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि निश्चित समय-सीमा में इनका मकान बन जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी सांसद, मंत्री साधियों सहित सभी जन-प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर जाएं, तो आवास योजना की भौतिक जानकारी अवश्य लें। इस अवसर पर रतलाम कलेक्टर सभाकक्ष में बड़ी संख्या में हितग्राही के अलावा जिला पंचायत प्रधान परमेश मईछ, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, परियोजना अधिकारी महेश कुमार चौबे उपस्थित थे।

सिधम २९

सिधम - २९/१/२२

**समय सीमा बैठक के समय उच्च अधिकारी अन्य
बैठके या तीसी नहीं लेंगे**

रतलाम। जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली समय सीमा बैठक के महत्व के दृष्टिगत समस्त उच्च अधिकारी अपने स्तर पर विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों की तीसी या समीक्षा बैठक आयोजित नहीं करेंगे ताकि अधिकारी अपनी जिला स्तरीय साप्ताहिक समय सीमा बैठक में उपस्थित रह सकें। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि समय सीमा बैठक जिला स्तर पर विभागों के मध्य समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे समय सीमा बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

स्वतंत्र एलन 30/1/22

गुंडों की रंगदारी नहीं चलने दी जाएगी

- ♦ प्लाट पर कब्जे की जनसुनवाई में शिकायत करें
- ♦ समय सीमा में होगा निराकरण, कलेक्टर ने की अपील

सिंधु रिपोर्टर □ रतनाम

जिला प्रशासन अब रंगदारी और प्लाट पर कब्जा करने वाले तत्वों से भी सख्ती से निपटने मन बना चुका है। प्रशासन ने इसके लिए ऐसे तत्वों से पीड़ित आम जनता से शिकायत करने की अपील की है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में जो लोग अपनी जीवन भर की कमाई से प्लाट खरीदे हैं और उनके प्लाट पर असामाजिक तत्वों या गुंडों तत्वों द्वारा कब्जा किया गया है या मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है या इस प्रकार की अन्य रंगदारी की



जा रही है तो अब उनकी रंगदारी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे पीड़ित व्यक्तियों से जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और समय सीमा में उनका निराकरण किया जाएगा। बसंत मामला न्यायालय में नहीं चल रहा

है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रंगदारी, गुंडा तत्वों से पीड़ित व्यक्तियों से अपील की है कि वे प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपना आवेदन लेकर आए उनकी शिकायत पर त्वरित एक्शन ली जाएगी। निश्चित समय सीमा में निराकरण कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि प्रायः इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्लाट पर गुंडा तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है अथवा रंगदारी की जाकर मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में अब प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस और प्रशासन का एक्शन : फिर चला तीन मंजिला मकान पर प्रशासन का बुलडोजर

सिंधु रिपोर्टर □ रतनाम

शहर में अवैध कारोबारियों, आदतन अपराधियों, बदमाशों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को मोहन नगर में विभिन्न मामलों के आरोपित सड़ू लाला के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर जिला, पुलिस और निगम का अमला दोपहर 4 बजे लगभग मोहन नगर पहुंचा। बिजली सप्लाई बंद करने के बाद दल ने बुलडोजर



की मदद से तीन मंजिला मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। कुछ ही देर में मकान को धराशायी कर दिया गया। मकान तोड़ने के लिए दल के पहुंचने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। दल ने आसपास के रास्तों और बैरिकेड्स लगाकर पहले यातायात रोका। उसके बाद बिजली के पोल पर एक कर्मचारी

चढ़ा। उसने बिजली सप्लाई बंद की। इसके बाद बुलडोजर ने पंजा चलाकर मकान तोड़ना शुरू किया। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि हत्या, हफ्तावसूली, ब्याज के लिए प्रताड़ित करने पर आत्महत्याजान से मारने की धमकी सहित 10 से अधिक मामलों के पोल पर एक कर्मचारी

रि.सि. 29

सिंधु रि.सि. 29/1/22

प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का नहीं बल्कि गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है - मुख्यमंत्री श्री चौहान

एक गाँव में बनने वाले आवासों के लिए एक साथ ऋय हो निर्माण सामग्री

रतलाम। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। यह अद्भुत कार्यक्रम है, गरीबों के कल्याण का मेला जारी है। सभी को बेहतर जिंदगी जीने और मुस्कुराने का अधिकार है। जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश को जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराई जाएगी। जो सबसे गरीब है और सबसे नीचे हैं, उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। मकान बनने तक हम इन भाई-बहनों के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि निश्चित समय-सीमा में इनका मकान बन जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी सांसद, मंत्री साधियों सहित सभी जन-प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर जाएं, तो आवास योजना को भीतिक जानकारी अवश्य लें।

इस अवसर पर रतलाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बड़ी संख्या में हितग्राही के अलावा जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा, कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, परियोजना अधिकारी श्री महेश कुमार चौबे उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के उद्घोषण को देखा व सुना गया। सभाकक्ष में 48 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री

ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। रतलाम जिले में 47724 हितग्राही अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में तीन लाख 50 हजार हितग्राहियों को स्वीकृति नवीन आवासों के लिए उनके खते में पहली किरत की 875 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न हितग्राहियों से वचुअली संवाद भी किया और प्रतीक स्वरूप पोंच हितग्राहियों को आवास स्वीकृति-पत्र प्रदान किए। कुहाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का शुभारंभ मध्यप्रदेश गान के साथ हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जल-संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया तथा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल सतना से वचुअली सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सभी जिलों ने वचुअली सहभागिता की।

राज्यस्तरीय योजनाओं में भ्रष्टाचार और टालमटोल खर्दोस्त नहीं- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में जारी किरत का पैसा मकान के लिए है। अतः हितग्राही यह पैसा मकान में ही लगाएँ। सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक यह सुनिश्चित करें कि आवास निर्माण का कार्य समय-सोमा में पूर्ण हों। योजनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी प्रभावी तरीके से

सुनिश्चित की जाए। हितग्राहियों को निर्माण सामग्री मिलने में असुविधा नहीं हो। राज्य सरकार अब तक 35 लाख लोगों को आवास उपलब्ध करा चुकी है। अभी जो परिवार खूटे हैं उनके मकान का सुपना भी जल्द पूर्ण होगा। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और टाल-मटोल बदोस्त नहीं होगी।

उचित दर पर मिले निर्माण सामग्री- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से संवाद में कहा कि योजना क्रियान्वयन में यह सुनिश्चित किया जाए कि हितग्राहियों को किरत प्राप्ति में विलंब नहीं हो। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि हितग्राहियों को निर्माण सामग्री उचित दर पर मिले। योजना क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

प्रत्येक हितग्राही को पता हो कि कब-कब कितनी किरत मिलेगी- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना में स्वीकृत आवासों से हितग्राहियों के जीवन में आए परिवर्तन के संबंध में उनसे वचुअली संवाद भी किया। संवाद में मण्डला जिले की श्रीमती सुमरति वार्ड पट्टे से यातचित में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हितग्राहियों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें कितनी किरत मिलेगी और यह किरतें कब-कब मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था स्थापित की जाए।

रतलाम 30/1/22

गुंडों की रंगदारी नहीं चलेगी-कलेक्टर

प्लॉट पर कब्जा हो तो जनसुनवाई में शिकायत करें

रतलाम, नम्र। जीवनभर की कमाई से जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा है और उनके प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है तो वे बेहिचक जनसुनवाई में आवेदन दें। असामाजिक तत्वों या गुंडा तत्वों के प्लॉट पर कब्जा करने अथवा मकान नहीं बना देने की रंगदारी को सहन नहीं होगी। रतलाम में अब असामाजिक तत्वों और गुंडे बदमाशों की रंगदारी नहीं चलेगी।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि बशर्ते प्लॉट पर कब्जे का मामला न्यायालय में नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने रंगदारी और गुंडा तत्वों से परेशान लोगों से अपील की है कि वे हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपना आवेदन लेकर आए। उनकी शिकायत पर तुरंत ही कदम उठाया जाकर तय समय सीमा में उनकी शिकायत का निराकरण कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि कई बार इस प्रकार

की शिकायतें आ रही हैं कि प्लॉट पर गुंडा तत्वों ने कब्जा कर लिया है या फिर रंगदारी कर मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में अब प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

बैठक दौरान बीसी नहीं -समय सीमा बैठक में सभी अधिकारियों को मौजूद रहना जरूरी है। विभागों के बीच समन्वय के नजरिये से यह बहुत जरूरी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसके लिए सभी उच्च अधिकारियों से कहा है कि वे हर सोमवार को होने वाली समय सीमा बैठक दौरान अपने स्तर पर विभागीय

जिला स्तरीय अधिकारियों की बीसी या समीक्षा बैठक नहीं करें, ताकि अधिकारी साप्ताहिक समय सीमा बैठक में मौजूद रह सकें। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के लिए जरूरी है कि वे समय सीमा बैठक में जरूरी रूप से मौजूद रहें।

प्रभात कौर 29/1/22

गुंडों की रंगदारी नहीं चलने दी जाएगी

प्लॉट पर कब्जे की जनसुनवाई में शिकायत करें समय सीमा में होगा निराकरण, कलेक्टर ने की अपील

रतलाम। नगरीय क्षेत्रों में जो लोग अपनी जीवन भर की कमाई से प्लॉट खरीदे हैं और उनके प्लॉट पर असामाजिक तत्वों या गुंडों तत्वों द्वारा कब्जा किया गया है या मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है या इस प्रकार की अन्य रंगदारी की जा रही है तो अब उनकी रंगदारी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे पीड़ित व्यक्तियों से जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और समय सीमा में उनका निराकरण किया जाएगा। बशर्ते मामला न्यायालय में नहीं चल रहा हो। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने रंगदारी, गुंडा तत्वों से पीड़ित व्यक्तियों से अपील की है कि वे प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपना आवेदन लेकर आए। उनकी शिकायत पर त्वरित एक्शन ली जाएगी, निश्चित समय सीमा में निराकरण कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि प्रायः इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्लॉट पर गुंडा तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है अथवा रंगदारी की जाकर मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में अब प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रभात कौर 30/1/22

प्लॉट पर कब्जे की जनसुनवाई में शिकायत करें, समय सीमा में होगा निराकरण, कलेक्टर ने की अपील

गुंडों की रंगदारी नहीं चलने दी जाएगी

● रतलाम

रतलाम। नगरीय क्षेत्रों में जो लोग अपनी जीवन भर की कमाई से प्लॉट खरीदे हैं और उनके प्लॉट पर असामाजिक तत्वों या गुंडों तत्वों द्वारा कब्जा किया गया है या मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है या इस प्रकार की अन्य रंगदारी की जा रही है तो अब उनकी रंगदारी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे पीड़ित व्यक्तियों से जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और समय सीमा में उनका निराकरण किया जाएगा। वरतें मामला न्यायालय में नहीं चल रहा है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रंगदारी, गुंडा तत्वों से पीड़ित व्यक्तियों से अपील की है कि वे प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपना आवेदन



लेकर आएँ। उनकी शिकायत पर त्वरित एक्शन ली जाएगी, निश्चित समय सीमा में निराकरण कर दिया जाएगा। 29/1/22

समय सीमा बैठक के समय उच्च अधिकारी अन्य बैठके या वीसी नहीं लेंगे

जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली समय सीमा बैठक के महत्व के दृष्टिगत समस्त उच्च अधिकारी अपने स्तर पर विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी या समीक्षा बैठक आयोजित नहीं करेंगे ताकि अधिकारी अपनी जिला स्तरीय साप्ताहिक समय सीमा बैठक में उपस्थित रह सकें। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस सम्बंध में पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि समय सीमा बैठक जिला स्तर पर विभागों के मध्य समन्वय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे समय सीमा बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

कलेक्टर ने बताया कि प्रायः इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्लॉट पर गुंडा तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है अथवा

रंगदारी की जाकर मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में अब प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभिषाण 29/1/22

मोहन नगर में तीन मंजिला मकान ढेर, देखने वालों की भीड़ लगी

हिस्ट्रीशीटर गुंडे सइहू लाला का भी मकान तोड़ा

● रतलाम।

जिले में शुरू हुई आदतन अपराधियों, गुंडों, ब्याजखोर और सटोरियों के खिलाफ जिला प्रशासन, पुलिस विभाग व नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई मोहननगर में चली। अपराह्न पीने चार बजे हिस्ट्रीशीटर गुंडे सइहू लाला के तीन मंजिला मकान को कुछ ही देर में जमींदोज कर दिया।

कार्रवाई के लिए जैसे प्रशासन का अमला मोहननगर पहुंचा तो लोगों की भीड़ लग गई जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग करना पड़ी। सभी रास्तों का यातायात भी रोक दिया गया। इसके बाद बिजली वितरण कंपनी के लाइनमैन ने क्षेत्र की



बिजली आपूर्ति बंद की। अगले ही पल प्रशासन के अमले के साथ आई पोकलेन सइहू लाला के मकान पर बेरहमी से टूट पड़ी। इस दौरान

सीएसपी हेमन्त चौहान, औधोगिक क्षेत्र टीआइ ओपी सिंह सहित नगर निगम और राजस्व विभाग का अमला पूरे समय डटा रहा। बता दें, कि- गत 21 जनवरी को भाटों का वास क्षेत्र में हुई फायरिंग के बाद से प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद से अब तक तकरीबन 20 निर्माण तोड़े जा चुके झंडावदन करने रतलाम आए प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया से भाजपा नेताओं ने पुलिस और प्रशासन की शिकायत की थी। इसके बाद भी जब सागोद रोड स्थित जयंतसेन धाम के पीछे शमून मैरिज गार्डन पर बुलडोजर चला और ऊपर से आए

फोन के बाद जब कार्रवाई रुकी तो लोगों ने मान लिया था अब शहर में शायद ही कोई तोड़-फोड़ हो। हालांकि यह सिर्फ अटल ही साबित हुई। जिला प्रशासन ने कल अपना रुख फिर से स्पष्ट कर दिया कि अवैध और अनैतिक कार्य को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुंडों की रंगबाजी नहीं चलने देने को लेकर जारी बयान और अपील ने इस पर पुष्टि की मुहर भी लगा दी। चर्चा है कि प्रशासन और पुलिस गुंडे-बदमाशों और माफिया को संरक्षण देने वाले और सांठ-गांठ रखने वाले सफेदपोश नेताओं की कर्म कुंडली भी खंगालनी शुरू कर दी है।

हाजिरा 29/1/22